



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

### सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 21.07.2022

**1-कासना पुलिस द्वारा फुजियामा पावर सिस्टम कम्पनी से चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।**

थाना कासना पुलिस द्वारा दिनांक 20.07.2022 को सिरसा गोलचक्कर से चोरी करने वाला 01 अभियुक्त मनीष शर्मा पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम दलेलगढ़ थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर चोरी के सामान को विलासपुर थाना दनकौर क्षेत्र में किराये के कमरे से बरामद किया गया है, जिसमें 20 सोलर प्लेट, 3 LED TV, 1 वाशिंग मशीन, 13 बैटरे, 9 इन्वर्टर बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी है।

#### **घटना का विवरण-**

दिनांक 20.07.2022 को वादी की कम्पनी का कर्मचारी अभियुक्त मनीष शर्मा पुत्र सुनील कुमार पद - डिस्पेच एग्ज्यूकेटिव के द्वारा वादी की कम्पनी फुजियामा पावर सिस्टम " "( ULT Solar ) ' प्लाट न0 51,52, Sector Ecotech – 1 Ext – 1 G.B Nagar थाना कासना गौतमबुद्धनगर से एक गाडी मे सामान लोड कर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कासना पर मु0अ0सं0 171 /2022 धारा 381 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. मनीष शर्मा पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम दलेलगढ़ थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 171 /2022 धारा 381/411 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

#### **बरामदगी का विवरण-**

20 सोलर प्लेट, 3 LED TV, 1 वाशिंग मशीन, 13 बैटरे, 9 इन्वर्टर, 1 मो0सा0 (सीज शुदा)



## 2- थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा अपने दुकान मालिक के 03 लाख 25 हजार रूपये लेकर भागने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2,37,300/- रूपये नकद बरामद।

थाना सेक्टर-58, नोएडा की पुलिस टीम द्वारा दिनांक-21.07.2022 को थाना सेक्टर-58, नोएडा पर दिनांक 16.07.2022 को पंजीकृत मु0अ0सं0-310/22 धारा 406 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रदीप कोरी पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम हरसुंडी थाना जलालपुर जिला हमीरपुर उ0प्र0 को खोडा तिराह से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 2,37,300/- रूपये की नकद बरामद किये गये हैं।

### घटना का विवरण -

दिनांक 16.07.2022 को वादी मुकदमा ने थाने आकर सूचना दी कि उसकी सेक्टर-58 स्थित (भाईजी मार्केट) में ग्रोसरी की दुकान है, दुकान पर पिछले 8-10 वर्षों से प्रदीप कोरी पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम हरसुंडी थाना जलालपुर जिला हमीरपुर उ0प्र0 काम कर रहा था, जिस कारण प्रदीप कोरी उपरोक्त मुकदमा वादी का विश्वास पात्र बन गया था। अभियुक्त के विश्वास पात्र होने के कारण ही मुकदमा वादी द्वारा दिनांक 14.07.2022 को अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त को 3,25,000/- रूपये नकद देकर गाजियाबाद से दुकान का सामान लाने के लिये भेजा था, लेकिन अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त मन में बेईमानी आने के कारण वह मुकदमा वादी की धनराशि लेकर भाग गया था। मुकदमा वादी द्वारा अभियुक्त की काफी तलाश करने के उपरांत भी जब वह नहीं मिला तो उसके द्वारा दिनांक 16.07.2022 को थाना सेक्टर-58, पर मु0अ0सं0-310/2022 धारा 406 भादवि पंजीकृत कराया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए थाना सै0 58 पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा शेष धनराशि को खर्च करना बताया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

प्रदीप पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम हरसुंडी थाना जलालपुर जिला हमीरपुर उ0प्र0

### अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-310/22 धारा 406 भादवि थाना सै0-58, नोएडा

### बरामदगी का विवरण-

2,37,300/- रूपये नकद



#श्रावण मास में शिवभक्तों का हरिद्वार से जल लाना आरंभ हो चुका है, गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा इसके दृष्टिगत सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है, सभी कांवड़ रूट की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा चुका है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह व अन्य पुलिस अधिकारीगण द्वारा कांवड़ मार्गों व शिविरों का लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है।

दोपहिया वाहनों से चलने वाले श्रद्धालुओं को यातायात नियमों के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों/थाना प्रभारियों द्वारा हेलमेट प्रदान किए गए तथा तिरंगा ध्वज भेंट किए गए।

दिनांक 21.07.2022 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशानुसार कमिश्नर के पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार कावड़ मार्ग का भ्रमण किया जा रहा है, लगातार पुलिस अधिकारीगण स्थानीय पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। आज पैदल मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा दुपहिया वाहनों पर कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं से वार्ता की गई तथा यातायात सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं को हेलमेट व तिरंगा ध्वज भेंट किये गये एवं सफर के लिये शुभकामनाएं दी गयीं।

अधिकारीगण द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को सर्तकता के साथ ड्यूटी करने के लिये निर्देशित किया गया। पुलिस कर्मियों को शिवभक्तों को किसी प्रकार की परेशानियों होने पर उनकी तत्काल सहायता करने के लिये कहा गया और यह भी निर्देशित किया कि यदि कोई भी अराजकतत्व किसी भी प्रकार से यात्रा में परेशानी उत्पन्न करता तो उस पर तत्काल कठोर कार्यवाही की जाए।

